न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक- R 160-II-17

रामप्रसाद, मोतीलाल तनय नाथूराम यादव, निवासी ग्राम-
बड़माड़ई खास तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

17

....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

मध्य प्रदेश शासन

....रिस्पो.

पुनरीक्षण प्रस्तुत विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक-107/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत हैं :-

{1} यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 216/3/2 रकवा 1.000 हैक्टे. खसरा पंचसाला में दर्ज चली आ रही है, उसे कम्प्यूटर में दर्ज कराने हेतु आवेदक ने आवेदन परीक्षण न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बड़गांव (धसान) जिला-टीकमगढ़ को दिया था, जिसे परीक्षण न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि भूमि का पट्टा वर्ष 1995 में प्राप्त है। शासकीय दर्ज तब से है। इस कारण समय अन्तराल अधिक हो जाने से आवेदन रिकार्ड सुधार नहीं किया जा सकता।

{2} यह कि, पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी ने न्यायालय अनुविभागीय के यहां अपील प्रस्तुत की थी और निवेदन किया था कि एक बार परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक 7/अ-6/अ/2002-03 दिनांक 5-9-2003 के द्वारा भूमि स्वामी दर्ज करने का आदेश दिया था, परन्तु कम्प्यूटर में उसे दर्ज नहीं कराया, और वर्ष 2013-14 में शासकीय बंजर वर्ष 2013-14 में लिख दिया, तथा यह भी निवेदन किया था कि परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 30-6-2015 एकांगी आदेश जारी किया, नकल दिनांक 05-01-2016 को आवेदन

(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 160-एक/ 2017 जिला-टीकमगढ़

रामप्रसाद विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनानगर उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के क्रमांक 107/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगड़ के द्वारा ही पुनरीक्षण	

62

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) .1.19

सदस्य